Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

दो टूक

हमारा सबसे बडा दुर्भाग्य यह है कि हम झूठी दुनिया मे रह कर झूठ को ही सच मानने लग गए है । आदर्श सोच या कानूनी पहलु कुछ भी कहे लेकिन यह कटु सत्य है कि एजूकेशन कुछ लोगो के लिए शुद्व व्यवसाय है एवं हमारे जैसो के लिए आजीविका ।

ऐसा नही है कि यह शुद्व व्यवसाय संस्था संचालको तक ही सीमित है बल्कि राज्य सरकार से लेकर इसे जुडे हुए लोग भी इसे यही मानते है तभी तो सरकार मान्यता के लाखो रूप्ये लेती है, अखबार विज्ञापन कॉमर्सियल मान कर चार्ज करता है, टीचर कॉमर्सियल मान कर वेतन लेता है बिजली/पानी/टैक्स सभी तो कॉमर्सियल है ? और इसमे पढ कर जाने वाला कौनसी समाज की मुफत सेवा करता है ? यहॉ तक की फीस तय करने वाले शिवकुमार जी जज साहब को पैशन मिलती है फिर भी प्रत्येक बैठक के 25,000 रू0 चाहिए क्यो ? वे चैरिटी क्यों नही करते ? तो फिर एक संचालक के लिए ही क्यू चैरिटी की बात करते है हम !

एक बात और इस शुद्व व्यवसाय से एतराज किसी आम आदमी को नही बल्कि उनको है जो सोचने मे आदर्श सोचते है , कहने को आदर्श बोलते है लेकिन जब आदर्श करने की बारी आती है तो देश मे सबसे पीछे ये ही पाये जाते है । ये लोग बन्द कमरो मे इनको हुई परेशानी /समस्या को देश की समस्या मान कर काननू बनाने लग जाते है जो व्यवहारिक बन ही नही पाता ।

और इन्ही कानूनो की वजह से हम आज तक उस आम आदमी को राहत नही दे पाये जिसके लिए संविधान बना, कानून बने , सरकारे बनी , कोर्ट बना , मीडिया बने और हम बने !

यह बात उन लोगो को बुरी लगेगी लेकिन मै किसी के बुरे की परवाह करता तो सच लिखने की हिम्मत ही नही करता ।

फीस एक्ट भी कुछ ऐसी ही दुविधाओं का शिकार है जिसमे तथा कथित आदर्श लोग अपने बच्चो को मुफत मे अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते है और नाम आम आदमी का ले रहे है । मुझे आम आदमी की आज तक की एक शिकायत बताए कोई । इनकी शिकायते मै बता दूँगा !

यह सत्य है कि फीस एक्ट की लगाम से संस्थाएँ बन्द होगी , बन्द होगी तो मोंनोपोली बढेगी , मॉनोपाली बढेगी तो शिक्षा मॅहगी होगी, सस्ती नही ? या गलत तरीके विकसित होगे ! तो फिर आम आदमी की भलाई कहॉ हुई ? उसका तो नुकसान ही हुआ ना !

यह आदर्श सत्य है कि कानून बनाया आम आदमी के नाम पर है लेकिन बनाने की मॉग करने वाले एवं बनाने का आदेश देने वाले का स्वार्थ रहा होगा वर्ना उस परटिकूलर

DO NOT COPY

स्कूल की जॉच होती या हो ! फीस एक्ट को भी बडे लोगो ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया ! वे नामी गिरामी स्कूलो मे अपने बच्चो को सस्ते मे पढाना चाहते है । ऐसे लोगो को स्टेटश भी चाहिए और पैसा भी ना लगे ? दोस्तो कलयुग मे यह संभव नही !

मैने फीस एक्ट से जुडे सुप्रीम कोर्ट सारे निर्णय पढे है ,वह कही भी फीस कमेटी के ना पक्ष मे है और ना ही विपक्ष मे ! वह स्वायतता की बात करता है एवं इसे आजीविका का साधन भी मानता है ! लेकिन हैड से चैरिटी बना कर सारे किये कराये पर पानी फेर देता है ।

सुप्रीम कोर्ट कही स्पष्ट निर्णय देने मे असफल रहा ! यही कारण है कि सही व्याख्या नही हो पाई और यह परेशानी का कारण बनता जा रहा है ।

विभिन्न उच्च न्यायालय उन्ही निर्णयो की व्याख्या अपने अपने हिसाब से करते है महारष्ट उच्च न्यायालय कहता है स्वायतता होनी चाहिए । कर्नाटक उच्च न्यायालय कहता है अभिभावका एवं सस्था दोनो को स्वयायता होनी चाहिए और मद्रास उच्च न्यायालय कहता है कि रेगूलेशन होने चाहिए ! राज्य उच्च न्यायालय कहता है ये तो औद्योगिक नेचर के है !

और मजे की बात देखो सारे कोर्ट रेफरेंस उन्ही निर्णयो का लेते है ! क्या है सच ढूढ रहा हुॅ

समाज के सभी वर्गो और खासकर नीति निर्धारण मे दखल रखने वाले अथवा सीधे भागीदारी निभाने वाले सभी का आहवान करना चाहता हुॅ कि इसे आदर्श कानूनो से बाहर व्यवहारिकता की दृष्टि से देखे , इससे होने वाले लाभ हानि का ऑकलन करने एवं एक ऐसे संतुलित कानून बनाने मे हमारी मदद करे जिससे हमारा राजस्थान देश के अग्रणी राज्यो मे हो तथा शिक्षा का लक्ष्य जो हम साठ साल मे पूरा नही कर पाये वो पूरा कर सके ।

जब तक हम व्यवहारिक सोच के साथ इस समस्या को नही देखेगे , इसका समुचित समाधान नही करेगे , किसी को कोई फायदा होने वाला नही है ।

आखिर एक शिक्षक को टंकी पर चढने की नौबत क्यो आई ? आखिर पुलिस को उसको वसूली का नोटिस देने की नौबत क्यो आई ? आखिर कोर्ट उसे राहत क्यो नही देना चाहता आखिर ऐसा एक्ट बनाने की नौबत क्यो आई ? ऐसे बहुत सारे सवाल है जिन्हे सच्चाई के साथ स्वार्थो से उपर उठकर देखना होगा तभी हम एक संतुलित रास्ता निकाल पायेगे ।

मैने आप सभी को एक विचार दिया है यदि आपकी देश के प्रति जिम्मेवारी है तो विचार करे वर्ना आदर्श सोचते रहिए – जो होगा वह तो होना ही है ।

अनिल शर्मा (09413623033)

एक शिक्षक जो जीविका हेतु शिक्षण संस्था चलता है।

DO NOT COPY

DO NOT COPY